

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान  
अविकानगर,तहसील मालपुरा जिला टोंक

फा.सं. 6(399)ES/2019/

दिनांक 01.07.2022

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के शॉपिंग सेन्टर की सभी दुकानों को 03 वर्ष के लिए तालिका में वर्णित किराया के आधार पर किराये पर देने का प्रस्ताव है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना प्रार्थना पत्र संस्थान के निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर सकते हैं। दुकानों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ व खाली दुकानों की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। निम्न सारणी में प्रस्तावित दुकानें किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर देखी जा सकती हैं।

क्र.सं०	दुकान नम्बर	निर्धारित किराया	दुकान की किस्म
1.	दुकान नं० 1 से 4 दुकान नं० 5 से 8  (वर्तमान में खाली दुकान नं० 5, 6 व 7)	रु.1000/- प्रति माह रु.800/- प्रति माह	फार्मेसी/दवाईयों, ज्यूस/फास्ट फूड/चाय /नमकीन मिठाई आदि। सब्जी, फल, दूध, आईसक्रीम, ब्रेकरी आईटम, किराणा सामग्री, ग्रीसरी आईटम, स्टेशनरी, विद्युत आईटम एवं विद्युत संबंधित रिपेयर कार्य, सेलून/ब्यूटी पार्लर, दुपहिया वाहन रिपेयर एवं पंचर आदि कार्य। चक्की/टेलरिंग कार्य आदि रोजमर्रा से संबंधित वस्तुओं व सेवाओं के लिए।

निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें :-

1. दुकान आवंटन की अवधि दुकान अधिग्रहण तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा घटाया या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। आवंटन से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार एग्रीमेन्ट किया जाना होगा।
2. दुकानों का आवंटन फार्मेसी/दवाईयों, ज्यूस/फास्ट फूड/चाय/नमकीन मिठाई आदि। सब्जी, फल, दूध, आईसक्रीम, ब्रेकरी आईटम, किराणा सामग्री, ग्रीसरी आईटम, स्टेशनरी, विद्युत आईटम एवं विद्युत संबंधित रिपेयर कार्य, सेलून/ब्यूटी पार्लर, दुपहिया वाहन रिपेयर एवं पंचर आदि कार्य। चक्की/टेलरिंग कार्य आदि रोजमर्रा से संबंधित वस्तुओं व सेवाओं के लिए किया जावेगा।
3. दुकान आवंटन दोनों तरफ से 30 दिनों के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हालांकि निदेशक महोदय बिना किसी कारण बताए किसी भी समय दुकान आवंटन समाप्त करने / परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. आवंटित फर्म/व्यक्ति द्वारा ही दुकान को संचालित किया जाये। संस्थान में किसी भी जानवर को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी व संस्थान परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. दुकान में बेची जाने वाली वस्तुओं के लिए केवल उचित दर ही वसूली जावे और किसी भी स्थिति में मालपुरा बाजार की दरों से अधिक दरों पर शुल्क नहीं लेना होगा।
6. प्रत्येक त्रैमासिक स्तर पर दुकानों में सामग्री की दरें व गुणवत्ता, नियमों की पालना आदि की समीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति से कराई जा सकती है व समीक्षा के आधार पर किसी भी दुकान के आवंटन रद्द करने आदि का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
7. आवंटित दुकान को अन्य व्यक्ति के साथ उप-किरायेदारी (Subletting) की इजाजत नहीं होगी। दुकान आवंटन से पूर्व सुरक्षा राशि 5000/- (रु.2500/- दुकान सिक्यूरिटी एवं रु.2500/-मीटर सिक्यूरिटी) डीडी/NEFT/RTGS / डिजिटल पेमेन्ट एप के माध्यम से संस्थान खाते ICAR Unit CSWRI के नाम Bank Account No.51066000084 IFSC Code-SBIN0031088 में जमा करवाई जाये। जो कि दुकान खाली करने पर लौटाई जावेगी। सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
8. जल शुल्क 12 रुपये प्रति माह और बिजली खर्च का भुगतान विद्युत इकाई को मीटर रीडिंग के अनुसार जमा कराना होगा।
9. मासिक किराया अग्रिम अथवा माह के अंतिम तारीख में आवश्यक रूप से डीडी/NEFT/RTGS / डिजिटल पेमेन्ट एप के माध्यम से संस्थान खाते ICAR Unit CSWRI के नाम Bank Account No.51066000084 IFSC Code-SBIN0031088 में जमा करवाई जाये व रसीद की प्रति प्रभारी, कय अनुभाग को सूचित करते हुए प्रभारी सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा प्रति दिन 5/- की दर से विलम्ब शुल्क जमा करवाना होगा। दुकान के पिछले माह के बिजली/पानी बिल भुगतान की रसीद प्रत्येक माह प्रभारी, कय अनुभाग को सूचित करते हुए प्रभारी सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर दुकान का आवंटन तत्काल प्रभाव रद्द करते हुए उसकी अमानत राशि व दुकान में उपलब्ध सामग्री आदि जब्त कर ली जावेगी व यथोचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।

.....2/-

I/78992/2022

10. दुकान में सभी सुरक्षा उपाय स्वयं द्वारा रखा जावेगा। संस्थान चोरी, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11. दुकान एवं दुकान के आस-पास सफाई दुकानदार को रखनी होगी। दुकानों का बरामदा पूर्ण रूप से हमेशा खाली रखना होगा।
12. दुकानदार ग्राहकों के साथ शिष्टाचार एवं अच्छे व्यवहार करेंगे और समय-समय पर निदेशक द्वारा जारी किसी भी निर्देशों का पालन करना होगा। नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
13. दुकान में उपयोग आने वाले बल्ब, ट्यूबलाईट आदि स्वयं अनुबन्धकर्ता के होंगे। दुकान और परिसर को एक साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखना होगा।
14. दुकान में निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित दुकान में कोई संशोधन और परिवर्तन वर्जित हैं।
15. दुकानदार द्वारा संस्थान में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नुकसान होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई संबंधित निर्णय संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
16. आवंटन तारीख से 03 दिवस के भीतर दुकान पर कब्जा नहीं करने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा और वह दुकान उस अवधि के बाद आने वाले अन्य आवेदक को आवंटित कर दिया जावेगा।
17. यदि किसी समय एक प्रकार की सामग्री या सेवा की आपूर्ति/बिक्री के लिए न्यूनतम दो दुकाने होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे उसी प्रकार की सामग्री या सेवा की आपूर्ति के लिए अन्य दुकान आवंटित करें अथवा न करें। सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि किसी समय विशेष में उपलब्ध खाली दुकान परिसर आवासियों की सुविधा के लिए किसी वस्तु या सेवा विशेष की बिक्री के लिए चिन्हित कर सकते हैं।
18. संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कारण बताये कभी भी निविदा रद्द करने/स्वीकार करने का अधिकार पूर्ण सुरक्षित है। सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान अविकानगर का होगा।

Digitally Signed by Sanjay  
Sharma  
(संजय शर्मा)  
Date: 01-07-2022 14:49:56  
प्रभारी क्रय अनुभाग  
Reason: Approved

वितरण:-

1. प्रभारी, ए.के.एम.यूनिट को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
2. सभी सूचना पट्ट अविकानगर
3. सचिव नगर पालिका, मालपुरा
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मालपुरा
5. ग्राम पंचायत चांदसेन/डिग्गी